

गार्गी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नोहर

अभिभावक सहमति पत्र

शासन सचिव, गृह (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प033(2)गृह-9/2019 दिनांक 06 जनवरी 2021 एवम् आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के क्रमांक-एफ-(4) प्रवेश/अकाद/आकाशि/2020/6 दिनांक-07.01.2021 के द्वारा दिशा-निर्देशों के क्रम में महाविद्यालय खोलने तथा छात्रा को महाविद्यालय भेज जाने की अनुमति दिये जाने के क्रम में, मै श्री/श्रीमती.....

.....अपनी पुत्री.....कक्षा..... को सहर्ष महाविद्यालय में भेजने की अनुमति प्रदान करता/करती हूँ। उसके लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन आवश्यक रूप से किया जायेगा। मास्क के साथ प्रवेश, सैनेटाइजर, पानी की बोतल, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना अनिवार्य रूप से करेगी। इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूँगा।

हस्ताक्षर मय दिनांक

अभिभावक

पता.....

मोबाईल न.....

सहमति पत्र में मेरे पिता/माता के हस्ताक्षर मेरे समक्ष किये गये हैं जो सत्य एवं सही है।

छात्रा के हस्ताक्षर

(छात्रा के हस्ताक्षर महाविद्यालय प्रचार्य के समक्ष होंगे)